



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 145]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 28, 2002/चैत्र 7, 1924

No. 145]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 28, 2002/CHAITRA 7, 1924

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2002

सा.का.नि. 235(अ).—पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (1967 का 15) की धारा 5 के साथ पठित धारा 24 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार इसके द्वारा पासपोर्ट नियम, 1980 में और संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2002 होगा।

(ii) ये 1 अप्रैल, 2002 से प्रभावी होंगे।

2. पासपोर्ट नियम, 1980 की अनुसूची-IV में :

(क) क्रम सं. 1 से 28 और उनसे सम्बद्ध प्रविष्टियों के लिये निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

अनुसूची-IV

(नियम 8 देखें)

पासपोर्ट और यात्रा दस्तावेजों के लिए आवेदन पत्रों के संबंध में देय शुल्कों की अनुसूची

क्रम सं.	आवेदन पत्र का विवरण	शुल्क		
		भारत में	डालर	यूरो
		रुपये		(यूरो मुद्रा वाले देशों के लिए)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

नए पासपोर्ट—

- | | | | | |
|----|--|------|----|----|
| 1. | अधिकतम 10 वर्ष की वैधता वाली 36 पृष्ठों की सामान्य पासपोर्ट पुस्तिका (10 वर्ष तक के नवीनीकरण के लिए यदि आरंभिक वैधता की अवधि कम है, कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा)। | 1000 | 40 | 48 |
|----|--|------|----|----|

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	60 पृष्ठों की पासपोर्ट पुस्तिका जारी करने के लिए।	1500	50	60
2.	18 वर्ष से कम आयु के अवयस्क बच्चे के लिए अधिकतम 5 वर्ष की वैधता वाली 36 पृष्ठों की सामान्य पासपोर्ट पुस्तिका।	600	25	30
3.	अधिकतम 10 वर्ष की वैधता वाला भारत-बंगलादेश और भारत-श्रीलंका पासपोर्ट।	500	20	25
विशेष यात्रा दस्तावेज—				
4.	आपात प्रमाण-पत्र	—	05	06
5.	अधिकतम 10 वर्ष की वैधता के साथ पहचान प्रमाण-पत्र।	300	12	15
6.	एक वर्ष की आरंभिक वैधता के साथ नियम 13 के परन्तुक के अधीन किसी अन्य देश के लिए 36 पृष्ठों वाली अतिरिक्त सामान्य पासपोर्ट पुस्तिका (10 वर्ष तक के नवीनीकरण के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा)।	1000	40	48
यात्रा दस्तावेजों का नवीनीकरण—				
7.	तीन/चार वर्षों की आरंभिक वैधता के साथ भारत-बंगलादेश अथवा भारत-श्रीलंका पासपोर्ट का नवीनीकरण (नवीनीकरण शुल्क केवल एक बार में एक-मुश्त में लिया जाएगा, यद्यपि वैधता की अवधि पासपोर्ट जारी करने वाले अधिकारी के विवेक के आधार पर अथवा सरकारी प्राधिकारियों के अनुदेशों के अनुसार तीन/चार वर्ष से कम हो सकती है)।	300	10	12
8.	आपात प्रमाण-पत्र अथवा पहचान प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण।	150	05	06
विविध सेवाएं—				
9.	सामान्य पासपोर्ट पर अतिरिक्त पृष्ठों का अथवा अन्य विविध सेवा (इस अनुसूची की प्रविष्टि दस में उल्लिखित विविध सेवा न हो)।	300	10	12
10.	विविध सेवाएं (अतिरिक्त पुस्तिका सहित) जिनमें 36 पृष्ठों वाली नई सामान्य पासपोर्ट पुस्तिका जारी करने की अपेक्षा हो।	500	20	25
	60 पृष्ठों वाली पासपोर्ट पुस्तिका जारी करने के लिए।	700	25	30
11.	आपात प्रमाण-पत्र अथवा पहचान प्रमाण-पत्र पर अतिरिक्त पृष्ठों का अथवा विविध सेवा।	100	05	06
12.	भारत-बंगलादेश अथवा भारत-श्रीलंका पासपोर्ट पर विविध सेवा।	100	05	06
13.	कोई विविध सेवा (अतिरिक्त पुस्तिका सहित) जिनमें नया भारत-बंगलादेश पासपोर्ट अथवा भारत-श्रीलंका पासपोर्ट जारी करने की अपेक्षा हो।	500	20	25
गुम अथवा क्षतिग्रस्त हो गए दस्तावेजों के बदले में डुप्लीकेट पासपोर्ट अथवा अन्य दस्तावेज—				
14.	सामान्य पासपोर्ट के बदले में इस आधार पर कि वह गुम, चोरी, क्षतिग्रस्त, नष्ट हो गया है अथवा ऐसे किसी अन्य कारण से 36 पृष्ठों वाला डुप्लीकेट पासपोर्ट जारी करना।	2500	125	150

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	60 पृष्ठों वाली पासपोर्ट पुस्तिका जारी करने के लिए।	3000	140	165
15.	आपात प्रमाण-पत्र/पहचान प्रमाण-पत्र के बदले में इस आधार पर कि वह गुम, क्षतिग्रस्त अथवा नष्ट हो गया है अथवा ऐसे किसी अन्य कारण से डुप्लीकेट आपात प्रमाण-पत्र अथवा पहचान प्रमाण-पत्र जारी करना।	600	25	30
16.	भारत-बंगलादेश अथवा भारत-श्रीलंका पामपोर्ट के बदले में इस आधार पर कि वह गुम, चोरी, क्षतिग्रस्त अथवा नष्ट हो गया है अथवा ऐसे किसी अन्य कारण से डुप्लीकेट पासपोर्ट जारी करना।	1000	30	36
(ख)	क्रम संख्या 29 से 35 को पुनः 17 से 23 तक की संख्या दी जाएगी।			

[फा. सं. VI/401/66/2000]

एस. आर. तायल, संयुक्त सचिव (सी पी वी)

टिप्पणी.—मुख्य नियम भारत के राजपत्र में संख्या सा.का.नि. 691(अ) दिनांक 11 दिसम्बर, 1980 के मार्फत प्रकाशित हुए थे और बाद में निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए :—

1. अधिसूचना सं. सा.का.नि. 50(अ) दिनांक 7-2-1981
2. अधिसूचना सं. सा.का.नि. 494(अ) दिनांक 10-6-1981
3. अधिसूचना सं. सा.का.नि. 469(अ) दिनांक 24-6-1982
4. अधिसूचना सं. सा.का.नि. 325(अ) दिनांक 12-4-1983
5. अधिसूचना सं. सा.का.नि. 482(अ) दिनांक 13-6-1983
6. अधिसूचना सं. सा.का.नि. 494(अ) दिनांक 16-6-1983
7. अधिसूचना सं. सा.का.नि. 345(अ) दिनांक 29-3-1985
8. अधिसूचना सं. सा.का.नि. 860(अ) दिनांक 8-11-1985
9. अधिसूचना सं. सा.का.नि. 857(अ) दिनांक 13-10-1987
10. अधिसूचना सं. सा.का.नि. 84(अ) दिनांक 11-2-1988
11. अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1155(अ) दिनांक 21-11-1988
12. अधिसूचना सं. सा.का.नि. 622(अ) दिनांक 27-6-1990
13. अधिसूचना सं. सा.का.नि. 653(अ) दिनांक 20-7-1990
14. अधिसूचना सं. सा.का.नि. 100(अ) दिनांक 4-3-1991
15. अधिसूचना सं. सा.का.नि. 275(अ) दिनांक 20-3-1991
16. अधिसूचना सं. सा.का.नि. 586(अ) दिनांक 21-6-1991
17. अधिसूचना सं. सा.का.नि. 111(अ) दिनांक 22-1-1992
18. अधिसूचना सं. सा.का.नि. 684(अ) दिनांक 15-6-1992
19. अधिसूचना सं. सा.का.नि. 721(अ) दिनांक 7-8-1992
20. अधिसूचना सं. सा.का.नि. 477(अ) दिनांक 16-6-1993
21. अधिसूचना सं. सा.का.नि. 485(अ) दिनांक 1-7-1993
22. अधिसूचना सं. सा.का.नि. 503(अ) दिनांक 10-7-1993
23. अधिसूचना सं. सा.का.नि. 833(अ) दिनांक 12-1-1994

24. अधिसूचना सं. सा.का.नि. 592(अ) दिनांक 7-8-1995
25. अधिसूचना सं. सा.का.नि. 491(अ) दिनांक 28-8-1997
26. अधिसूचना सं. सा.का.नि. 605(अ) दिनांक 5-10-1998
27. अधिसूचना सं. सा.का.नि. 516(अ) दिनांक 8-7-1999
28. अधिसूचना सं. सा.का.नि. 827(अ) दिनांक 29-12-1999
29. अधिसूचना सं. सा.का.नि. 34(अ) दिनांक 12-1-2000
30. अधिसूचना सं. सा.का.नि. 472(अ) दिनांक 22-5-2000
31. अधिसूचना सं. सा.का.नि. 473(अ) दिनांक 22-5-2000
32. अधिसूचना सं. सा.का.नि. 485(अ) दिनांक 23-5-2000
33. अधिसूचना सं. सा.का.नि. 529(अ) दिनांक 8-6-2000
34. अधिसूचना सं. सा.का.नि. 584(अ) दिनांक 4-7-2000
35. अधिसूचना सं. सा.का.नि. 632(अ) दिनांक 25-7-2000
36. अधिसूचना सं. सा.का.नि. 482(अ) दिनांक 28-6-2001
37. अधिसूचना सं. सा.का.नि. 527(अ) दिनांक 13-7-2001
38. अधिसूचना सं. सा.का.नि. 576(अ) दिनांक 2-8-2001
39. अधिसूचना सं. सा.का.नि. 817(अ) दिनांक 2-11-2001
40. अधिसूचना सं. सा.का.नि. 879(अ) दिनांक 5-12-2001

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March, 2002

G.S.R. 235(E).—In exercise of the powers conferred by section 24, read with section 5 of the Passports Act, 1967 (15 of 1967), the Central Government hereby makes the following rules to further amend the Passports Rules, 1980, namely —

- 1 (1) These rules may be called the Passports (Amendment) Rules, 2002
- (2) They shall come into force with effect from the 1st day of April, 2002
- 2 In Schedule IV to the Passports Rules, 1980,—
 - (a) for serial numbers 1 to 28 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely —

SCHEDULE IV

(See rule 8)

**SCHEDULE OF FEES PAYABLE IN RESPECT OF APPLICATIONS FOR
PASSPORT AND TRAVEL DOCUMENTS**

Sl No	Particulars of application	Scale of fees		
		India	Abroad	
		Rs	\$	Euro
				(For countries with Euro as the currency)
1	2	3	4	5
NEW PASSPORTS—				
1	Ordinary passport booklet containing 36 pages with a maximum validity of ten years (no extra fee will be charged for renewals upto ten years if initial validity is less)	1000	40	48
	For issuing passport booklet containing sixty pages	1500	50	60

1	2	3	4	5
2	Ordinary passport containing 36 pages with a maximum validity of five years for minor children below the age of 18 years	600	25	30
3	India-Bangladesh or India-Sri Lanka Passport with a maximum validity of ten years	500	20	25
SPECIAL TRAVEL DOCUMENT—				
4	Emergency Certificate	—	5	6
5	Certificate of identity with a maximum validity of ten years	300	12	15
6	Additional ordinary passport booklet containing 36 pages for any country under the proviso to rule 13 upto initial validity of one year (no extra fee will be charged for renewals upto ten years)	1000	40	48
RENEWAL OF TRAVEL DOCUMENTS—				
7	Renewal of India-Bangladesh or India-Sri Lanka passport with a maximum total validity of ten years after initial validity of three/four years (the renewal fee will be charged in one lump sum once only, even though period of validity may be less than three/four years, depending upon discretion of Passport Issuing Authority or according to instructions from Government authorities)	300	10	12
8	Renewal of Emergency Certificate or Certificate of Identity	150	5	6
MISCELLANEOUS SERVICES—				
9	Additional endorsement or other miscellaneous service on ordinary passport (not being a miscellaneous service referred to in entry ten of this Schedule)			
10	Miscellaneous services (including additional booklet) requiring issue of a fresh ordinary passport booklet containing 36 pages	500	20	25
	For issuing passport booklet containing 60 pages	700	25	30
11	Additional endorsement or miscellaneous service on an Emergency Certificate or Certificate of Identity	100	5	6
12	Miscellaneous service on an India-Bangladesh or India-Sri Lanka Passport	100	5	6
13	Any miscellaneous services (including additional booklet) requiring issue of a fresh India-Bangladesh passport or an India-Sri Lanka passport	500	20	25
DUPLICATE PASSPORTS AND OTHER DOCUMENTS IN LIEU OF LOST OR DAMAGED DOCUMENTS—				
14	Issue of duplicate passport containing 36 pages in lieu of the ordinary passport on the ground that it has been lost, stolen, damaged, destroyed or for any other such reasons	2500	125	150
	For issuing duplicate passport booklet containing 60 pages	300	140	165
15	Issue of duplicate Emergency Certificate or Certificate of Identity in lieu of Emergency Certificate/Certificate of Identity on the ground that it has been lost, stolen, damaged or destroyed or for any other such reasons	५५	25	30

1	2	3	4	5
16.	Issue of duplicate passport in lieu of the India- Bangladesh or India-Sri Lanka Passport on the ground that it has been lost, stolen, damaged or destroyed or for any other such reasons. (b) Serial numbers 29 to 35 shall be renumbered as serial numbers 17 to 23 thereof.	1000	30	36

[F. No VI/401/66/2000]

S. R. TAYAL, Jt. Secy. (CPV)

Note :—The principal rules were published in the Gazette of India vide number G.S.R. 691(E), dated the 11th December, 1980, and subsequently amended vide —

- (i) G.S.R. 50(E), dated 7-2-1981;
- (ii) G.S.R. 494(E), dated 10-6-1981;
- (iii) G.S.R. 469(E), dated 24-6-1982;
- (iv) G.S.R. 325(E), dated 12-4-1983;
- (v) G.S.R. 482(E), dated 13-6-1983;
- (vi) G.S.R. 494(E), dated 16-6-1983;
- (vii) G.S.R. 345(E), dated 29-3-1985;
- (viii) G.S.R. 860(E), dated 8-11-1985;
- (ix) G.S.R. 857(E), dated 13-10-1987;
- (x) G.S.R. 84(E), dated 11-2-1988;
- (xi) G.S.R. 1155(E), date 21-11-1988;
- (xii) G.S.R. 622(E), dated 27-6-1990;
- (xiii) G.S.R. 653(E), dated 20-7-1990;
- (xiv) G.S.R. 100(E), dated 4-3-1991;
- (xv) G.S.R. 275(E), dated 20-3-1991;
- (xvi) G.S.R. 586(E), dated 21-6-1991;
- (xvii) G.S.R. 111(E), dated 22-1-1992;
- (xviii) G.S.R. 684(E), dated 15-6-1992;
- (xix) G.S.R. 721(E), dated 7-8-1992;
- (xx) G.S.R. 477(E), dated 16-6-1993;
- (xxi) G.S.R. 485(E), dated 1-7-1993;
- (xxii) G.S.R. 503(E), dated 10-7-1993;
- (xxiii) G.S.R. 833(E), dated 2-12-1994;
- (xxiv) G.S.R. 592(E), dated 7-8-1995;
- (xxv) G.S.R. 491(E), dated 28-8-1997;
- (xxvi) G.S.R. 605(E), dated 5-10-1998;
- (xxvii) G.S.R. 516(E), dated 8-7-1999;
- (xxviii) G.S.R. 827(E), dated 29-12-1999;
- (xxix) G.S.R. 34(E), dated 12-1-2000;

- (xxx) G.S.R. 472(E), dated 22-5-2000;
(xxxi) G.S.R. 473(E), dated 22-5-2000;
(xxxii) G.S.R. 485(E), dated 23-5-2000,
(xxxiii) G.S.R. 529(E), dated 8-6-2000,
(xxxiv) G.S.R. 584(E), dated 4-7-2000;
(xxxv) G.S.R. 632(E), dated 25-7-2000;
(xxxvi) G.S.R. 482(E), dated 28-6-2001;
(xxxvii) G.S.R. 527(E), dated 13-7-2001,
(xxxviii) G.S.R. 576(E), dated 2-8-2001,
(xxxix) G.S.R. 817(E), dated 2-11-2001;
(xl) G.S.R. 879(E), dated 5-12-2001.

